

अपील सं० 52/18


मांगीलाल आ० श्रीलाल लोधा वगैरह निवासी खेरखेडी माता तहसील मनोहरस्थाना

बनाम

तहसीलदार मनोहरस्थाना वगैरह

अपील बनाराजगी आदेश तहसीलदार मनोहरस्थाना दिनांक 10.08.17

वकील श्री शैलेन्द्र कुमार पोसवाल द्वारा बउनवान मांगीलाल वगैरह बनाम तहसीलदार मनोहरस्थाना वगै० यह अपील तहसीलदार मनोहरस्थाना के आदेश दिनांक 10.08.2017 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। उक्त अपील समय सीमा में पेश नहीं की गई है, एवं देरी से प्रस्तुत करने का भी कोई कारण एवं लिमिटेड प्रा०पत्र संलग्न नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्त चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।



अति० जिला कलक्टर
अति० जिला मजिस्ट्रेट
झालावाड़ (राज०)